

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

अशोक सिंघल

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा:- प्रथम अपील सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर:- 64 सन् 2018
RCMS No. 2018/00

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
13.12.18	<p>यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्त श्री अशोक सिंघल (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) लाल बाजार धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर राजाखेड़ा (धौलपुर) द्वारा सूचना नहीं दिया जाना अंकित करते हुए पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रस्तुत अपील को सुनने का अधिकार अति० जिला कलक्टर धौलपुर को है। अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अति० जिला कलक्टर धौलपुर को स्थानान्तरित की जावे एवं अपीलान्त को सूचित किया जावे। असल अपील भेजकर प्रति रिकार्ड में रखें पत्रावली फ़ैसलशुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	


(नन्नुमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर